

# मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1991 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1991 (फल्गुन 27, 1912)  
समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रभाती

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 क्रमांक 21 सन् 1973 की धारा 17 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भापाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

१८ श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घौषित समर्थन मत्थ पर धान की खरीदी न होने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, का ध्यान आकर्षित करेंगे।

१९ श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, चम्बल नहर का दांया तट टूटने से फसलों को हड्ड क्षति की ओर जल-संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

२० श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट कौर्स की रिक्त सीटें शीघ्र भरे जाने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

२१ श्री सुबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के सहकारी शक्कर कारखाना केलारस के प्रबंधकों द्वारा गन्ना-खरीदी में की जा रही अनियमितताओं की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

२२ श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य :

२३ जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम खैरवाही में सिंचाई हेतु खनन किये गए नलकूप को विद्युत कनेक्शन दिये जाने तथा एक नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में 19 व्यक्तियों की,

२४ जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम टेकापार से खैरवाही एवं लोणीमार्ग का गिटटीकरण तथा पुलिया निर्माण किये जाने के संबंध में 19 व्यक्तियों की,

२५ जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम मुलेगुड़ा के तालाब के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

२६ जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम सेमरकोना से मटिया मार्ग को पूर्ण किये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियों की,

२७ जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम सालेहटोला में सिंचाई सुविधा हेतु दयूबवेल खनन कराये जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की,

४३४ जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालौद के ग्राम मुलेहुड़ा में सिंचाई देतु एक नलकूप खनन कराये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियाँ की,

४३५ जिला दुर्ग के ग्राम सेमरकोना में सड़क पर विद्युत खम्मे लगाये जाकर प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियाँ की,

४३६ जिला दुर्ग के ग्राम सेमरकोना के शाला भवन की मरम्मत कराये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियाँ की, तथा

४३७ जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालौद के ग्राम सालेहटोला के तालाब का गहरीकरण कराये जाने के संबंध में 23 व्यक्तियाँ की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

#### ४२४ डा. गोविन्द सिंह, सदस्य :

४३८ जिला भिण्ड, विकासखण्ड लहार के ग्राम बवनपुरा से सिंचाई देतु दयूबवेल खनन कराये जाने के संबंध में 1। व्यक्तियाँ की,

४३९ जिला भिण्ड, विकासखण्ड लहार के ग्राम केशवगढ़ से मडोरी मार्ग में खन्दा से हो रहे कटाव को रोके जाने के संबंध में 13 व्यक्तियाँ की, तथा

४४० जिला भिण्ड विकासखण्ड लहार के ग्राम खूदा में खरन्जा एवं नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में 14 व्यक्तियाँ की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

४४१ नालूर दरबार सिंह, सदस्य : जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड लोहारा में पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने के संबंध में 34 व्यक्तियाँ की, तथा

४४२ जिला राजनांदगांव के तहसील कवर्धा के ग्राम गौरमठी में नलकूप खनन करवाये जाने के संबंध में 14 व्यक्तियाँ की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

४४३ श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य, जिला रायपुर विधानसभा होत्र बसना के ग्राम गढ़फूलझर में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में 4। व्यक्तियाँ की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

#### ४४४ श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य :

४४५ जिला शहडोल, विकास खण्ड जैतहरी के सिवनी सुलखारी मार्ग में तिपान नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में 645 व्यक्तियाँ की,

४४६ जिला रीवा, विकासखण्ड गुढ़ के ग्राम खीरा से पटना तक के अपूर्ण मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में 20 व्यक्तियाँ की,

४४७ जिला रीवा, विकासखण्ड गुढ़ के ग्राम सुरसा खुर्द में शाला भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 12 व्यक्तियाँ की, तथा

४४८ जिला रीवा विकासखण्ड गुढ़ के ग्राम सुरस्कला में प्राथमिक शाला भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 18 व्यक्तियाँ की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

#### ४४९ श्री अशोक शुक्ला, सदस्य :

४४१ जिला इन्दौर के उमरिया खुर्द से दूषिया तक सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियाँ की, तथा

४४२ जिला इन्दौर के इन्दौर-कबीरखेड़ी मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में 40 व्यक्तियाँ की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

॥७॥ डालसिंह बिसेन, सदस्य, जिला सिवनी विकास खण्ड बरधाट के ग्राम पखारा, जैवसारा एवं गहरा पिपरिया मैं ओला वृष्टि से हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में 203 व्यक्तियों याचिका प्रस्तुत करेंगे।

॥८॥ श्री शिलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल शहर के अम्बेडकर नगर मैं सड़कों का डामरीकरण एवं नालियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में 14 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

॥९॥ श्री बारसा दुलाराम, सदस्य, जिला बस्तर के तहसील दन्तेवाड़ा मैं 30 बिस्तरों वाला अस्पताल प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में 13 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

॥१०॥ श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, जिला रायपूर के ग्राम खरोटा मैं विकास खण्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में 63 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

॥११॥ श्री कन्हैयालाल ढोलेकर, सदस्य जिला बैतूल विकासखण्ड आमला, ग्राम छावल मैं हाई स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में 39 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

### ५. वर्ष 1990-91 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1990-91 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

६. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य द्वारा

दिनांक 11 मार्च, 1991 को प्रस्तुत मिमिक्षित प्रताव पर चर्चा :

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्य गण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

भोपाल,  
दिनांक 16 मार्च, 1991.

विश्वेन्द्र मेहता  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधानसभा।